भिक्षावृत्ति एवं धार्मिक स्थल : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन
(मथुरा नगर के विशेष सन्दर्भ में)

दयालबाग शिक्षण संस्थान, दयालबाग, आगरा

की

पीएच.डी.(समाजशास्त्र) की उपाधि हेतु

प्रस्तावित रूपरेखा

(2018—19)

शोध पर्यवेक्षक :

डॉ0 बीरपाल सिंह ठैनुआं

असि0 प्रोफेसर (समाजशास्त्र)

समाजशास्त्र एंव राजनीति विज्ञान विभाग

शोधार्थी :

गोपाल सिंह

समाजशास्त्र एवं राजनीति

विज्ञान विभाग

संकाय प्रमुख :—

प्रो0 कमलजीत संधू
समाज विज्ञान संकाय

विभागाध्यक्षा :—

प्रो0 पूर्णिमा जैन
विभाग— समाजशास्त्र
एवं राजनीति विज्ञान

दयालबाग शिक्षण संस्थान (डीम्ड यूनिवर्सिटी)

दयालबाग आगरा —282005

परिचय :– भारतीय समाज में एक सांस्कृतिक अवधारणा के रूप में धर्म का प्रमुख स्थान है। धर्म एक ऐसी अवधारणा है, जो किसी समाज के व्यक्तियों के नैतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को प्रभावित करता है। धर्म से प्रेरित मानवीय मूल्य व्यक्ति को दया, उदारता, सहृदयता अपनाने के लिये प्रेरित करते है, और साथ ही निर्धन तथा निराश्रित लोगों की मदद करने हेतु दान की अवधारणा को अपनाने के लिये बाध्य करते है। अतः दान रूपी अवधारणा धर्म से ही प्रोदभूत होती है। धार्मिक तथा नैतिक विचारों से प्रेरित होकर व्यक्ति गरीबों, वंचितों, शोषित तथा निराश्रित लोंगों की आर्थिक सहायता हेतु दान देता है। दान देने की यह प्रक्रिया जब किसी विशेष याचना अथवा प्रार्थना पर फलीभूत होती है तो यह **भिक्षावृत्ति** के रूप में जानी जाती है। दान की अवधारणा विश्व के प्रत्येक देश, समाज एवं संस्कृति में किसी न किसी रूप में पायी जाती है। धर्म से प्रेरित दान देने की मूल्यपरक यह प्रक्रिया निराश्रित, निर्धन, बेसहारा, लोगों को जीवन यापन के एक सहारे के रूप में अपनी ओर आकर्षित करती है। यहीं से भिक्षावृत्ति का एक व्यवसाय के रूप में प्रस्फुटन होता है।

भिक्षुक की परिभाषा एवं अर्थः–

1. **ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार** :– भिक्षुक वह व्यक्ति है, जो आवास विहीन है तथा जो दूसरों से धन या भोजन मांगकर अपना जीवन यापन करता है।
2. **यूरोपीय वैगेरेन्सी एक्ट (1824) के अनुसार** :– भिक्षुक को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है – यूरोपियन समाज में भिक्षुक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधन होने पर भी भीख मांगता है, या धमकी भरे तथा ढीठ तरीके से दान मांगाता है, या लगातार तब भी दान मांगता रहता है, जब उसे ऐसा करने से मना किया जाता है।
3. **भारत की जनगणना के अनुसार** :– भिक्षुक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो घुमक्कड तुच्छ कार्यो में लगा हुआ है, तथा जिसकी आय का कोई निश्चित साधन नहीं है, तथा वे जो किसी भी समय किसी आर्थिक उत्पादन की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है, भिक्षुक कहे जाते है।

4. **<u>केरल प्रीवेंशन ऑफ बैगिंग बिल (2006)</u>** :– इस बिल में भिक्षुकों को इस प्रकार परिभाषित किया है।

(1) किसी लोक स्थान पर प्रार्थना या याचना द्वारा भिक्षा प्राप्त करना या किसी निजी निवास स्थान आदि पर भिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रवेश करने वाला व्यक्ति।

(2) किसी घाव, चोट, शारीरिक बीमारी, अक्षमता या विकलांगता को भिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रदर्शित करने वाला या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति अथवा पशु की सहायता से भिक्षा माँगना ।

(3) स्वयं को याचक के रूप में प्रदर्शित करना जिसका मुख्य उद्देश्य दान प्राप्त करना है।

5. **<u>जी आर मदान (1982) के अनुसार</u>** :– एक भिक्षुक वह व्यक्ति है, जो दूसरों से दान या भिक्षा माँगता है, या अपने कार्य द्वारा दूसरों की सहानुभूति प्राप्त करता है।

6. **<u>राधाकमल मुखर्जी (1945) के अनुसार</u>** :– भिक्षावृत्ति सामाजिक विघटन का एक लक्षण है।

7. **<u>बॉम्वे प्रीवेंशन ऑफ बैगरी एक्ट (XXIII 1945)</u>** :– एक व्यक्ति जिसके जीवन यापन का कोई साधन नहीं है, और जो इधर–उधर घूमता है, अथवा भिक्षा माँगने के लिए प्रदर्शन स्वीकार करता है। इस परिभाषा के अनुसार भिक्षुकों में तीन बातें देखी जाती हैं।

(1) जीविकोपार्जन का प्रत्यक्ष साधन न होना।

(2) सार्वजनिक स्थानों पर भीख माँगना।

(3) भीख माँगने के लिए अपनी बीमारी तथा घावों आदि का प्रदर्शन करना।

8. **<u>मैसूर प्रोहीविशन ऑफ बेगरी एक्ट (1944) :–</u>** भीख माँगने में दर–दर घूमना, भिक्षा माँगना, घावों शारीरिक पीडाओं अथवा दोषों का प्रदर्शन करना अथवा भिक्षा प्राप्त करने के लिए दया उत्पन्न करने हेतु उनके झूठे बहानें बनाना सम्मिलित हैं।

9. **<u>उत्तर प्रदेश प्रोहीविशन ऑफ बेगरी एक्ट (1975) :–</u>** भिक्षावृत्ति का अर्थ सार्वजनिक स्थानों पर दान भिक्षा प्राप्त करना या उसके लिए आग्रह करना है। इसके लिए चाहे तो कुछ दिखावा किया भी जा सकता है या नहीं भी जैसेः–गायन,नृत्य, भविष्य बताना,या अन्य कोई करामात करना, या किसी वस्तु का विक्रय प्रस्ताव आदि। इसमें उक्त भी शामिल है–

(1) किसी निजी परिसर में भिक्षा/दान प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रवेश करना।

(2) किसी मनुष्य या पशु के किसी घाव, चोट, अंग विकृति अथवा बीमारी को दान या भिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से प्रदर्शित करना।

(3) जिनके पास जीवन निर्वाह के कोई साधन दृश्यरूप में नहीं है और वे इधर उधर घूमते है, अथवा सार्वजनिक/लोक स्थान पर ही ऐसी परिस्थितियों में निवास करते हैं, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि वह ऐसा भिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से कर रहा है।

(4) स्वंय को भिक्षा/दान प्राप्ति के उद्देश्य से प्रदर्शित अथवा प्रयुक्त करना परन्तु इसमें धन या भोजन अथवा उपहार प्राप्त करने का विधिसम्मत आग्रह शामिल नही है, और न ही यह किसी प्रक्रिया द्धारा विहित किया गया है।

अतः उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है, कि भिक्षुक न केवल वह व्यक्ति है, जो निराश्रित निर्धन तथा संसाधन विहीन है, अपितु वह व्यक्ति भी भिक्षुक है, जो जीवन निर्वाह के पर्याप्त संसाधन होने के बाबजूद भी भिक्षावृत्ति में लिप्त रहते हैं, भिक्षावृत्ति के अध्ययन से यह भी पता चलता है, कि यह समस्या मुख्य रूप से तृतीय विश्व के देशों व विकासशील देशों में प्रमुख

रूप से पायी जाती है। विकसित देशों में भिक्षावृत्ति का अस्तित्व तो है, परंतु वहाँ यह एक गम्भीर समस्या के रूप में दृष्टिगोचर नहीं होती है। भारतीय संदर्भ में यदि विचार किया जाये तो भिक्षावृत्ति की अवधारणा वहुत प्राचीन है, उदाहरणतः मनु स्मृति में भी भिक्षुकों के बारे में वर्णन मिलता है, और आश्रम व्यवस्था चौथे चरण में सन्यास आश्रम के अंतर्गत भिक्षावृत्ति द्वारा जीवन यापन किये जाने पर बल दिया गया था।

भारत में भिक्षावृत्ति एवं भिक्षुकों की वर्तमान स्थिति :— भारत आर्थिक दृष्टि से विकासशील देशों की श्रेणी मे आता है, अतः निर्धनता, बेरोजगारी, अपर्याप्त आर्थिक संसाधन, अस्थिर आर्थिक ढांचा आदि तत्व भिक्षावृत्ति को वर्तमान में बढ़ावा दे रहे है। लोकसभा के प्रश्न संख्या 1831 के सन्दर्भ में सामाजिक न्याय व अधिकारिता **मंत्री थावर चन्द गहलोत** के अनुसार देश में वर्तमान समय में **4,13,670** भिक्षुक है। जिनमें से 2,21,673 पुरूष है, यह भारत के कुल भिखारियों की 53.58 प्रतिशत संख्या है जबकि महिलाओं की सख्या 1,91,997 जो कि भिखारियों की कुल संख्या का 46.41 प्रतिशत है। समाज कल्याण मंत्रालय की दि. 08.03.2016 की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों की दृष्टि से सर्वाधिक भिखारियों की जनसंख्या पश्चिम बंगाल में पायी जाती है, तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश एवं बिहार क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर आते है। उत्तर प्रदेश में **65835** भिखारी हैं। रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में भिखारियों की संख्या बहुत कम है उदाहरणतः अरूणाचल प्रदेश में मात्र 114, नागालैण्ड में 124, तथा मिजोरम में मात्र 53 भिखारी हैं जबकि संघ शासित प्रदेशों में दमन दीप में 22 तथा लक्ष्यद्वीप में 2 भिखारी हैं। सामाजिक कल्याण मंत्रालय की इस सूची में पर्वतीय प्रदेशों में भी भिखारियों की जनसंख्या काफी कम है, जैसे कि उत्तराखण्ड में 3,320 हिमाचल प्रदेश में 809 तथा दिल्ली में 2,187 भिखारी है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के भिखारियों में 21 प्रतिशत भिखारी शिक्षित है, यदि धर्म एवं सम्प्रदाय के आधार पर भिखारियों का वर्गीकरण किया जाये जो निम्नलिखित है।

धर्म/सम्प्रदाय	भिक्षुकों की जनसंख्या में प्रतिशत हिस्सा	भारत की जनसंख्या में प्रतिशत हिस्सा
हिन्दू	72.2	79.80
मुस्लिम	24.9	14.23
ईसाई	0.88	3.30
सिख	0.45	1.72
बौद्ध	0.52	0.72
जैन	0.06	0.70
अन्य	0.3	0.37
अज्ञात	0.62	0.66

स्त्रोत – भारत की जनगणना 2011

शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त भिक्षुक

लिंग	भारत	उत्तर प्रदेश
पुरूष	43,141	4,220
महिला	27,365	1,783
कुल	70,506	6,003

अतः उपरोक्त सारणियों से स्पष्ट होता है, कि भिक्षावृत्ति में लैगिक आधार पर कोई भेद नहीं है। स्त्री तथा पुरूष दोनों ही इस प्रक्रिया का समान रूप से हिस्सा हैं। धार्मिक आधार पर भी लगभग सभी धर्म एवं सम्प्रदाय के लोग भिक्षावृत्ति में संलग्न हैं।

भिक्षावृत्ति की धार्मिक अवधारणा – धर्म का तात्पर्य है **'धारण करना'** अतः समाज में व्यक्ति जिन उच्च नैतिक मूल्यों को अपनाते है, वो धर्म का ही प्रभाव है। इन्हीं नैतिक मूल्यों से उद्‌भूत अवधारणा **दान** है। अधिकांश भिक्षुक इस तथ्य से भली–भाँति परिचित होते है कि एक धार्मिक व्यक्ति दान को एक कर्तव्य की भाँति समझता है। इसी कारण भिक्षुक मन्दिरों, मस्जिदों या धार्मिक स्थानों के आसपास संकेन्द्रित रहते है। ये भिक्षुक त्योहार, व्रत, मेलों, धार्मिक उत्सवों, तथा दिनों के अनुसार अपना स्थान परिवर्तित करते रहते है। वास्तविक रूप से धार्मिक भिक्षुकों को जे.एम. कुमारप्पा ने अपनी पुस्तक **ऑवर बैगर प्रॉब्लम** में भिखारियो को दो श्रेणियो मे विभाजित किया है–

धार्मिक भिक्षुक – भारत में ये भिक्षुक किसी विशिष्ट धार्मिक सम्प्रदाय से सम्बन्धित होते है। हिंदू तथा मुस्लिम धार्मिक विचारों द्वारा पोषित ये भिक्षुक इस समस्या के निराकरण को लगभग असंम्भव बना देते है। हिंदू धर्म में इन्हे योगी,साधु, बैरागी, सन्यासी आदि नामों से जाना जाता है, वही इस्लाम धर्म में फकीर और दरवेश के रूप में इन्हें मान्यता दी गई है। इनके मुख्य चिन्ह केसरिया (भगवा) वस्त्र,लकड़ी के मोतियों की माला, हाथ में कटोरा आदि है।

कल्पित धार्मिक भिक्षुक – यह दैविक सत्ता के प्रति अपनी आस्था दिखाकर लोगों की सहानुभूति प्राप्त करते है, और भोजन व धन प्राप्त करने में सफल हो जाते है, पर वास्तव में इनकी किसी धर्म विशेष में कोई आस्था नहीं होती है, ये लोगों के धार्मिक विचारों एवं भावनाओं का फायदा उठाकर बिना किसी कार्य के अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं। कुमारप्पा के अनुसार व्यवहारिक रूप में धार्मिक भिक्षुक तथा कल्पित धार्मिक भिक्षुकों में विभेद करना बहुत मुश्किल है। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि भारत में भिक्षावृति को दो प्रमुख सम्प्रदाय, हिंदू तथा मुस्लिम का समर्थन प्राप्त है, इसी कारण इसका स्थायी निराकरण बहुत कठिन है, साथ ही सामाजिक कार्यो से जुड़े लोग सरकार तथा विभिन्न गैर–सरकारी संगठन इन्हे सन्यासी,योगी बाबा,साधु,बैरागी, फकीर तथा दरवेश आदि के रूप में संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, इससे इस समस्या की जटिलता और भी अधिक बढ़ जाती है।

भारत में भिक्षावृत्ति निषेध हेतु कानूनी प्रावधानः–

भारत में भिक्षावृत्ति को रोकने के लिये लगभग 22 राज्यों एवं संघ–राज्य क्षेत्रों में कानून बनाये गये हैं। विभिन्न राज्यों ने भिक्षावृत्ति निषेध हेतु निम्नलिखित कानून बनाये हैंः–

(1) बाम्बे भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम 1959

(2) जम्मू कश्मीर भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम 1960

(3) दिल्ली भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम 1960

(4) पंजाब भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम 1971

(5) मध्य प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1973

(6) उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम 1975

(7) कर्नाटक भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम 1975

(8) सिक्किम भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम 2004

उपरोक्त अधिनियम राज्य स्तर पर भिक्षावृत्ति को निषेध करतें हैं। इंडियन प्रोसिजर कोड़ की **धारा 133** के अनुसार जो व्यक्ति भीख माँगने के लिए अनुचित प्रदर्शन करते पाये जायें तो वह दण्ड के भागीदार होगें। कानूनी प्रावधानों के अनुसार पुलिस को भिखारियों को गिरफ्तार करने का अधिकार मिला हुआ है। परन्तु इन अधिकारों का क्रियान्वयन ना के बराबर ही हो पाता है।

सैद्धान्तिक ढाँचा :– इस बात का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता कि भिक्षावृत्ति का कब प्रारम्भ हुआ, परन्तु विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है, कि आदिम समाजों में जहाँ लोग छोटे समूह में अपने निकट सम्बन्धियों के साथ रहते थे वे एक दूसरे को पारस्परिक सहायता और संरक्षण प्रदान करते थे। अतः तब भिक्षावृत्ति का अभाव था भिक्षावृत्ति का उद्‌भव मुख्य रूप से व्यक्तिगत सम्पत्ति की अवधारणा के साथ उत्पन्न हुआ है...ऐन्डरसन (1904)। इस सम्बन्ध में – आचार्य नें लिखा है कि यह ऐतिहासिक रूप से सत्य है, कि धर्म जिसनें यहाँ के निवासी लाखों लोगों को आध्यात्मिक धैर्य प्रदान किया इसने भिक्षावृत्ति नामक छलपूर्ण अपराध को जन्म दिया। सिन्धु घाटी सभ्यता से पूर्व यहाँ भिखारी बहुत अधिक नही थे, लोग जीवन निर्वाह के स्तर पर रहते थे, पर उसके पश्चात् जब पश्चिमोत्तर भारत नगरीय संस्कृति का गवाह बना और जब शेष देश सभ्यता के प्रकाश को खोज रहा था, और केवल खानबदोश जीवन यापन तक सीमित था। तत्पश्चात् जब सांस्कृतिक आर्य खानबदोश जनजातियों के सम्पर्क में आये तो उनमें असांमजस्यपूर्ण अन्तःक्रिया भारत के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्रारम्भ हुयी। आदिवासी लोग जिनके लिए कृषि और उघोगों में बहुत कम स्थान था। उनके लिए भिक्षावृत्ति ही एक मात्र सहारा रह गया था, बाद में ब्राहमणों के कठोर वर्णाश्रम धर्म, जैनों के आडम्बरहीन वैराग्य और बौद्धो के उदारतापूर्ण विचारों ने भी गृहत्यागी जीवन को प्रोत्साहित किया। जिससे भिक्षावृत्ति ही जीवन का एकमात्र साधन बन गया। ईसा के प्रारम्भ में जब अधिकांश धर्म विभिन्न भागों में विभाजित हो रहे थे, तब ब्राहमणों और साधुओं का गृहत्यागी जीवन की

उपयोगिता नष्ट हो गई, और अपनी पूर्व गरिमा खो बैठी। तब ये अनुपयोगी साधु, गरीब, निराश्रित, अपराधी, आदि सभी लोग अपने अस्तित्व के लिए सघर्ष करने लगें। तब ऐसे समय भिक्षावृत्ति को एक संस्थापक पहचान मिली जिसे अधंकार का युग कहा गया। यदपि सुनहरे युग में समृद्ध अर्थव्यवस्था स्थापित हुयी मगर तब भी सामन्तवाद (500ई. से 1200ई. तक) में यह संकट गभीर रूप धारण कर चुका था, और भिक्षावृत्ति की यह संस्था एक सामाजिक बुराई के रूप में स्थापित हो चुकी थी...आचार्य (1988)।

कुमारप्पा ने कृषि बेरोजगारी को भारत में पायी जाने वाली भिक्षावृत्ति का मुख्य कारण माना है। क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र सभी भूमिहीन कृषि मजदूरों को रोजगार देने में सक्षम नही थे, ये लोग गाँवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे थे, और रोजगार के अभाव में भिक्षावृत्ति को अपने जीवन यापन का साधन बना लेते हैं। तत्कालीन भारत में 1931 की जनगणना के अनुसार 14 लाख भिक्षुक थे, जिनमें से लगभग आधे शारीरिक रूप से सक्षम थे। शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली भिक्षावृत्ति का मुख्य कारण जनसंख्या की वृद्धि तथा बेरोजगारी की बढ़ती हुयी दर थी। ऐसे में धनी लोगों के द्वारा किया जाने वाला दान धार्मिक स्थानों जैसे मंदिर गुरूद्वारों, धर्मशाला आदि के आस–पास भिक्षुकों को संकेन्द्रित करने के लिये प्रेरित करता है...कुमारप्पा(1945)। भिक्षावृत्ति भारत में एक परमपरागत व्यवसाय के रूप में स्थापित है, क्योंकि दान को हिन्दू समाज में एक पवित्र व नैतिक दायित्व के रूप में स्थापित किया गया है। समाज के द्वारा अधिकाशतः भिक्षुको तथा मांगने वालों के प्रति असहनशीलता की भावना दर्शायी जाती है, क्योंकि भिक्षावृत्ति को एक असमाजिक व्यवहार के रूप में भी देखा जाता है। इसीलिए उपनगरीय रिहायशी क्षेत्रों में भिक्षावृत्ति के प्रति असहनशीलता विद्यमान होती है...ध्रुवासन (1963)।

प्राचीन समय में बौद्ध भिक्षुक घर–घर धूमकर एक कटोरे को अपने हाथ में लेकर दान माँगते थे। यह प्रथा वर्तमान में भी विद्यमान है। ये उन लोगों के लिए कुछ सद्कार्य करने हेतु प्रेरित करते हैं, जो बीमार असहाय और भूखे है। प्राचीन हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, तथा जैन धर्म संयुक्त रूप से दान को महत्व देते है। इनके अनुसार दान देने वाला व्यक्ति स्वर्ग में उच्च–स्थान प्राप्त करता है। ऋगवेद

के अनुसार **उच्च दिवि दचिन्दावन्तो अस्तू** हिंदू धर्म के अनुसार धन कमाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय का **1/10 वाँ** भाग दान में देना चाहिये। जब भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था से संचालित होने लगा उस समय भिक्षावृत्ति वैदिक विधार्थियों (ब्रहमचारियों) और सन्यासियों का विशेषाधिकार बन गई। रोग ग्रस्त लोगों को भी भिक्षावृत्ति की अनुमति थी। अवैध भिक्षावृत्ति को दण्डित करने के लिए नियम बनाये गये थे। पाराशर स्मृति में लिखा है, कि राजा को उन गाँवो पर अर्थदण्ड लगाना चाहिए जहाँ लोग भिक्षावृत्ति के उद्देश्य से घूमते है, और वे ब्रहमचारी वैदिक विधार्थी और सन्यासी आदि की श्रेणी में भी नही हैं। झा ने आदिम समाज पर भी ध्यान केन्द्रित किया और स्पष्ट किया कि उस समय अन्य प्रकार से भिक्षावृत्ति के विकास को नियंन्त्रित किया जाता था। बहुपत्नीत्व प्रथा उन बहुत सी स्त्रियों को सहारा देती जो अन्यथा भिक्षावृत्ति में संलिप्त हो जाती थीं। दास प्रथा और वैश्यावृति भी इस प्रकार का एक सहारा था, जिस कारण निराश्रित लोग भिक्षावृत्ति नही करते थे। इन संस्थाओं के विघटन ने प्राचीन व्यवस्था को अस्त–व्यस्त कर डाला जिससें भिक्षावृत्ति में वृद्धि हुयी...झा (1979)।

परम्परागत भारतीय समाज में भिक्षावृत्ति की समस्या नहीं थी क्योंकि समाज का सामाजिक आर्थिक ढांचा इसे निरूद्ध करता था। वर्णाश्रम व्यवस्था तथा संयुक्त पारिवारिक ढांचा उन लोगों को उचित जीवन स्तर प्रदान करते थे, जो शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार या असहाय होते थे। राज्य तथा ग्राम परिषद् उन लोगों की देखभाल करते थे। जो सरंक्षणहीन व असहाय होते थे...राज (1983)। आधुनिक समाजों में भिक्षावृत्ति तथा सड़कों पर भिक्षुकों की उपस्थिति को एक सामाजिक समस्या के रूप में देख जाता है। अमेरिका में अकिंचनता और भिक्षावृत्ति की समस्या को समाप्त करने के लिए काफी प्रयास किये जा रहे है...ब्रामोली (1987)। विश्व के लगभग सभी नगरीय समाजों में भिक्षावृत्ति वास्तविक रूप से एक गम्भीर समस्या है। यह समस्या जब और गम्भीर हो जाती है जब यह विकसित देशों के नगरों में वृहद रूप ले लेती है। इस समस्या का एक गम्भीर पहलू यह भी है कि विकासशील व अल्प विकसित देशों में भिक्षावृत्ति को एक सामान्य घटना के रूप में देखा जाता है...अदेदिबु (1989)।

धर्म के अनुसार भिक्षुकों तथा साधुओं तथा उनकी झोली में भोजन देना हिन्दू जीवन का परम्परागत लक्षण है, यहाँ तक कि भगवान शिव अपने जीवन यापन को दान प्राप्ति से चलाते थे यह भी हिन्दू धर्म की एक अवधारणा है...कामत (2007)। वर्तमान में भिक्षावृत्ति की समस्या लगभग सभी नगरीय समाजों में विद्यमान है यद्यपि यह किसी देश में अधिक व्यापक रूप से विद्यमान हो सकती है... नेमबार्ता (2010)। मध्यकाल के प्रारम्भ से भिक्षावृत्ति ईसाई सिद्धन्तों क अनुसार दान को मान्यता देने के साथ भिक्षावृत्ति व्यापक रूप से अस्तित्व में आयी। गरीब तथा असहायों को दान देने से मृत्यु के पश्चात दैवीय दण्ड से मुक्ति प्राप्त होती है। तथा जिससे वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके...(मैथ्यू)। भिक्षावृत्ति एक अनौपचाकि आर्थिक क्रिया है जो कि लोक स्थानों पर सम्पादित होता है, इससे यह तथ्य स्पष्ट है कि प्राप्तकर्ता अपने लाभ के लिए धन प्राप्त करता है जबकि बदले में वह कुछ नहीं देता है...(एड्रिक्सी और क्ले)।

अवधारणा का क्रियान्वयन– प्रस्तुत अध्ययन में मुख्य रूप से चार अवधारणा शामिल हैं, जो कि इस प्रकार हैं।

- **भिक्षुक** – भिक्षुक वह व्यक्ति है, जिसका मुख्य उददेश्य दान प्राप्त करना है।
- **भिक्षावृत्ति** – भिखारियों द्वारा जीवन यापन के लिये जो पद्धति एक व्यवसाय के रूप में अपनायी जाती है, उसे भिक्षावृत्ति कहते हैं।
- **भीख** – भिक्षावृत्ति की प्रक्रिया से फलीभूत लाभ भीख कहलाता है, जो दाता द्वारा भिक्षुक को दिया जाता है।
- **धार्मिक स्थान** – प्रत्येक धर्म में एक देव स्थान होता है, जहाँ उस धर्म से सम्बन्धित सभी प्रकार के कर्मकाण्डों को सम्पादित किया जाता है। वह धार्मिक स्थान कहलाता है। जैसे हिन्दुओं में मन्दिर, मुस्लिमों में मस्जिद, ईसाईयों में चर्च इत्यादि।

अध्ययन समस्याः– अनुच्छेद 38 भारतीय संविधान भारत को एक लोककल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करता है, जिसका मुख्य लक्ष्य सभी को जीवन स्तर के साधन उपलब्ध कराना तथा

सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। परन्तु वर्तमान में बढ़ रही आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, निर्धनता के कारण लोग भिक्षावृत्ति को एक जीवन यापन के अवसर के रूप में अपना रहे है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 3.72 लाख भिखारी है, जिनमें से 21 प्रतिशत शिक्षित है। यह आकडें भारत के विकसित देश के रूप में पहचान बनाने के लक्ष्य को तिरोहीत करते है। किसी भी विकसित एवं सभ्य राष्ट्र की यह प्रारम्भिक शर्त होती है कि वह अपने नागरिकों को आर्थिक समानता के अवसर उपलब्ध कराये। सभी के जीवन यापन के समान अवसर उपलब्ध होने पर ही कोई राष्ट्र प्रगति के पथ पर आगे बढ सकता है। किसी देश में भिक्षावृत्ति की समस्या का विद्यमान होना उस देश के आर्थिक–सामाजक ढांचे की कमजोरी को उजागर करता है। इसी कारण कुछ विकसित देशों ने भिक्षावृत्ति को पूर्णरूपेण प्रतिबन्धित कर दिया है। उदाहरणतः ब्रिटेन, सिंगापुर इत्यादि। ये देश अपने बेरोजगार तथा निराश्रित नागरिकों को रोजगारपरक शिक्षा तथा जीवन के मूलभूत संसाधन उपलब्ध कराते हैं, जिससे वह किसी भी रूप में भिक्षावृत्ति में संलग्न न हों। भारत में भिक्षावृत्ति को एक अवैधानिक कृत्य के रूप में कई राज्यों में प्रतिबन्धित कर दिया है। परन्तु इन प्रतिबन्धों का वास्तविकता के धरातल पर कोई क्रियान्वयन नहीं है। विगत वर्षों में भिक्षावृत्ति की प्रवृति का एक व्यवसाय के रूप में उभरना भारत के लिए एक गम्भीर चुनौती प्रस्तुत करता है। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भिक्षावृत्ति एवं धार्मिक स्थल : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (मथुरा नगर के विशेष संदर्भ में) शोध समस्या का चयन किया है, क्योंकि धार्मिक क्षेत्र मे भिक्षावृत्ति की बढ़ती प्रवृत्ति एक गम्भीर समस्या है।

अध्ययन का महत्व :– विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में विगत वर्षो में उत्पन्न भिक्षावृति की समस्या एक गम्भीर सामाजिक बिडम्बना का रूप धारण कर चुकी है। अतः प्रस्तुत अध्ययन भिखारियों की सामाजिक दशा कारकों तथा आयामों की वृहत चर्चा को प्रस्तुत करेगा। यह तथ्यपरक विश्लेषण देश के नीति निर्माताओं तथा सरकार को भिक्षुकों की वास्तविक स्थिति से अवगत करायेगा। जिससे भिक्षावृत्ति जैसी सामाजिक विसंगति को समाप्त करने हेतु सरकारी स्तर पर उचित कदम उठाया जा सके। भिक्षावृत्ति जैसी समस्या का पूर्ण उन्मूलन किसी भी समतामूलक

समाज की पहली शर्त है। इस प्रकार से देश के प्रत्येक नागरिक को पूर्ण गरिमा एवं प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार मिल सकेगा, तथा ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोडने का एक सकारात्मक प्रयास भी इस अध्ययन से हो सकेगा। समाजिक स्तर पर आर्थिक असमानता वर्गात्मक विभेदीकरण उत्पन्न करती है, जिससे वर्ग संघर्ष उत्पन्न होने की सम्भावना होती है। जब तक पूंजी का विकेन्द्रीकरण तथा सभी को पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध नही होंगे तब तक इस वर्गात्मक विभेदीकरण को दूर नहीं किया जा सकता। यदि भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है, तो नीति निर्माताओं को भिखारियों के प्रति सचेत होना होगा। जिससे समाज के इस अंकिचन वर्ग को संविधान के **अनुच्छेद 14** का संरक्षण वास्तविक रूप से मिल सके, यही इस अध्ययन का प्रयास होगा। यह अर्थपूर्ण अध्ययन समाज के निराश्रित तथा संसाधन विहिन भिक्षुक वर्ग की ओर सरकारों तथा नीति निर्माताओं को सचेत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

उपलब्ध साहित्य की समीक्षा

जे.एल. गिलिन (1929) गिलिन ने अपने लेख **बैगरेन्सी एण्ड बेगिंग** में स्पष्ट किया भिक्षावृत्ति और भिक्षुक आधुनिक एवं सभ्य समाज की ही एक परिघटना है। पूर्व में भिक्षावृत्ति के स्थान पर दासत्व, पुनर्विवाह, वैश्यावृति, को अपनाकर लोग अपना जीवन यापन कर लेते थे। सामाजिक परिस्थितियाँ भिक्षावृत्ति और आवारापन को बढ़ावा देती है। अराजकता आर्थिक एवं सामाजिक विघटन, आर्थिक, एवं राजनैतिक अस्थिरता कृषि हानि, धार्मिक विचार एवं मूल्य, धर्मयुद्ध, प्रवास, सांमतवाद का अंत, अकाल या प्लेग आदि सभी कारक भिक्षावृत्ति का मार्ग प्रशस्त करते है। गिलिन का यह अध्ययन यूरोपियो देशों के सन्दर्भ में किया गया था। जिसमें इंगलैण्ड और यूरोप महाद्वीप की श्रमिक बस्तियों का अध्ययन शामिल है, इसके अंत में पाया गया कि बेल्जियम और स्वीटजरलैंड की बस्तियाँ इस दृष्टि से सम्पूर्ण यूरोप में बेहतर अवस्था में थी। जहाँ भिक्षावृत्ति का विक्रतम रूप विद्यमान नहीं था।

जे.एम (जगदीशन मोहनदास) कुमारप्पा (1945) कुमारप्पा ने अपनी पुस्तक में तत्कालीन भारत में लगभग 14 लाख भिक्षुकों की उपस्थिति पर चिन्ता व्यक्त की। भिक्षुकों में स्त्री पुरूष तथा सक्षम तथा अक्षम सभी प्रकार की शारीरिक मानसिक संरचना वाले लोग सम्मिलित थे। कुमारप्पा ने इस (भिक्षावृत्ति) समस्या का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जिसमें उन्होने भिक्षावृति के कारणों का उल्लेख करते हुये स्पष्ट किया, कि बेरोजगारी अशिक्षा, आलस्य तथा धर्म, शारीरिक विकलांगता इस समस्या के कुछ प्रत्यक्ष कारण है जबकि कृषि पर निर्भरता और कृषि जनित प्रच्छन्न बेरोजगारी इस समस्या को और अधिक जटिल बना देते है, कुमारप्पा ने 15 प्रकार के भिक्षुकों का उल्लेख किया जिसमें, **धार्मिक तथा कल्पित धार्मिक** भिक्षुको का उल्लेख वर्तमान अध्ययन के लिये महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

एम.वी मूर्ति (1959) मूर्ति ने भिखारियों का विश्लेषण एवं विभाजन उनकी शारीरिक अवस्था के आधार पर किया उदाहरणतः – शारीरिक रूप से सक्षम, शारीरिक रूप से अक्षम, बीमार, मानसिक रोगी, शारीरिक विकलांग था धार्मिक भेष धारण किये हुये भिक्षुक आदि। इनके अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि यह आवश्यक नहीं है, भिक्षावृत्ति को तभी अपनाया जाये जब कि कोई व्यक्ति शारीरिक अक्षमता अथवा विकलांगता से ग्रस्त हो बल्कि यह आलस्य और अकर्मण्यता का परिणाम भी होता है।

सुमिता चौधरी (1977) यह अध्ययन कलकत्ता के कालीघाट नामक स्थान पर काली मन्दिर के पास बड़ी संख्या में एकत्रित होने वाले भिक्षुकों पर आधारित था। जिसमें अध्ययन के लिये 588 (253 पुरूष, 335 महिलायें) भिक्षुकों को चुना गया। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि यद्यपि ये भिक्षुक एक हिन्दू मन्दिर पर संकेन्द्रित थे। परन्तु इनमें सभी धर्म एवं संप्रदाय के लोग सम्मिलित थे। इसमें से 28.91 प्रतिशत भिक्षुक 6–15 वर्ष आयु के बाल भिक्षुक थे। अध्ययन में सम्मिलित भिक्षुकों ने यह तथ्य स्वीकार किया कि वे अपने बच्चों के समाजीकरण में उन्हें भिक्षावृत्ति करने के तरीके सिखाते हैं। अध्ययन में भिक्षावृत्ति के मुख्य कारण आर्थिक आवश्यकताऐं, पारिवारिक सम्बन्धों का विघटन, धार्मिक कारण, त्रृणग्रस्ता, विकलांगता आदि माने गये। अध्ययन में सम्मिलित भिक्षुकों में से 96.62

प्रतिशत स्थायी भिक्षुक थे जब कि मात्र 3.38 प्रतिशत भिक्षुक अस्थायी जो कभी–कभी भिक्षावृत्ति करने वाले थे।

अनुजा महापात्रा (1992) यह अध्ययन उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले पर आधारित है। अपने शोध में महापात्रा ने स्पष्ट किया कि भिक्षावृत्ति और आयु के मध्य गहरा सम्बन्ध पाया जाता है। अधिकांशतः भिक्षावृत्ति उन व्यक्तियों द्वारा की जाती है, जिन्हें परिवार के आर्थिक उत्तरदायित्व वहन करने होते हैं। 200 भिक्षुकों पर आधारित इस अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि सर्वाधिक 76 भिक्षुक 38 प्रतिशत वयस्क थे और 56 भिक्षुक 28 प्रतिशत नवयुवक थे शेष 34 प्रतिशत में वृद्ध और बच्चे शामिल थे। धार्मिक दृष्टि से यदि देखा जाये तो 83 प्रतिशत भिक्षुक हिन्दू थे। भिक्षावृत्ति में संलिप्त लोग अधिकाशतः निरक्षर थे क्योंकि 200 उत्तरदाताओं में से 147 लोग 73 प्रतिशत निरक्षर थे। भिक्षुकों के सामाजिक और पारिवारिक सम्बन्ध बहुत कमजोर होते हैं, लगभग भिखारी पारिवारिक सम्बन्धों से पूर्णरूपेण विरत थे। निष्कर्षतः अध्ययन में स्पष्ट किया गया कि शैक्षणिक–आर्थिक अक्षमताऐं बेरोजगारी को सृजित करती है, जिससे पारिवारिक सम्बन्ध नष्ट होते है, और अन्ततः व्यक्ति भिक्षावृत्ति को अपना लेता है।

मार्क बीमेन (1992) इन्होने पश्चिमी अफ्रीका क्षेत्र में किये गये अध्ययन के आधार पर **द बैगर्स स्ट्राइक** लेख प्रकाशित किया। इसमें मार्क ने पश्चिम अफ्रीका प्रशासकों द्वारा भिखारियों के विरोध में कार्यवाही करने पर, भिखारियों द्वारा की गई काल्पनिक हड़ताल का वर्णन किया है। भिखारियों की काल्पनिक हड़ताल से स्पष्ट हुआ कि ये लोग सामाजिक संरचना का आंतरिक हिस्सा है। इनकी अनुपस्थिति से लोगो के धार्मिक व नैतिक मूल्य प्रभावित होते हैं। क्योंकि कुछ स्थानों पर भिक्षावृत्ति एवं दान की अवधारणा एक प्रथा के रूप में स्थापित हो गई है। भिखारियों को दान देकर लोग अपने धार्मिक मूल्यों के पूर्ण होने पर आत्म संतुष्टि का अनुभव करते है। इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट किया गया कि भिक्षावृति उन लोगों के द्वारा अपनायी जाती है जिनके पास जीवन निर्वाह के कोई अन्य साधन नही होते और इस प्रकार से यह एक शाश्वत प्रथा के रूप में स्थापित हो जाती है ।

<u>राजेन्द्र कुमार शर्मा (1997)</u> इन्होने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया कि भिक्षुक न केवल भीख माँगता है, बल्कि भयाभय नैतिक भ्रष्टता से भी जीवन यापन करते है। इनकी उत्पदकता कुछ नहीं होती है, बस यह अर्थव्यवस्था को पिछड़ापन प्रदान करते है, यही नही बहुत से भारतीय रूढ़ीवादी विचार एवं प्रथाऐं व धार्मिक मूल्य भी भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहन देते है और दान को नैतिक दायित्व के रूप में स्थापित करते है। अन्ततः भिक्षावृत्ति एक ऐसे समाज की देन है, जिसे विकास की परमावश्यकता है।

<u>फिलिप (2005)</u> यह अध्ययन आस्ट्रेलिया के मेलबर्न नामक स्थान पर की जाने वाली भिक्षावृत्ति के सन्दर्भ में किया गया जिसमें अध्ययन कर्ता ने मात्रात्मक और गुणात्मक अध्ययन पद्वति के माध्यम से भिक्षको के जनसांख्यिकीय तथ्यों भिक्षावृत्ति की प्रकृति तथा कारणो को जानने का प्रयास किया गया था। अध्ययन मे 17 भिक्षुको का गहन साक्षात्कार किया। इस हेतु संरचनात्मक प्रश्नावली तथा सहज वार्तालाप का सहारा लिया गया अध्ययन मे निर्धारित उत्तर दाताओं से ज्ञात हुआ किया इन भिक्षुकों में से 18 प्रतिशत के पास आय का कोई साधन नही है, जबकि 82 प्रतिशत सामाजिक सहायता भुगतान प्राप्त करते हैं। इनमे से किसी के भी पास रोजगार नही था और वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते थे अध्ययन में भिखारियों तथा आवासहीनता के मध्य पाया जाने वाला गहन सम्बन्ध भी स्पष्ट हुआ क्योकि अध्ययन मे शामिल 94 प्रतिशत भिक्षुक आवास विहीन थे भिक्षावृत्ति के अन्य घटक जैसे मानसिक विक्षिप्तता (71 प्रतिशत भिक्षुक) तथा नशाखोरी (47 प्रतिशत भिक्षुक) और घरेलु हिंसा (41 प्रतिशत भिक्षुक) भी इस समस्या के कारणो को स्पष्ट करते है। अध्ययन मे भिक्षावृत्ति के प्रत्यक्ष कारणो को स्पष्ट किया गया जैसे न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु 53 प्रतिशत लोगो द्वारा भिक्षावृत्ति की जाती है, जबकि अन्य कारण नशाखोरी, बीमारी आदि हैं। अध्ययन मे भिक्षावृत्ति करने के तरीके के आधार पर स्पष्ट हुआ कि लगभग 47 प्रतिशत भिक्षुक निष्क्रिय भिक्षावृत्ति करते है, जबकि 53 प्रतिशत सक्रिय भिक्षावृत्ति करते है, लेकिन अध्ययन में यह भी स्पष्ट हुआ कि किसी भी भिक्षुक के द्धारा आक्रामक भिक्षावृत्ति नही की जा रही थी। अधिकाशतः भिक्षुक दया की याचना द्वारा ही धन प्राप्त करने का प्रयास करते है।

<u>मैसी, रफीक, तथा सीले (2010)</u> इनके अध्ययन में स्पष्ट किया गया कि गरीबी आर्थिक असुरक्षा खराब स्वास्थ्य और बढ़ती आयु भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देने वाले कारक है। इस अध्ययन मे गरीबी से जूझते हुए लोगों के जीवन अनुभव व उनके जीवन यापन के तरीके पर भी प्रकाश डाला गया है। उत्तरी बांग्लादेश से पूर्वी–भारत में प्रवासित स्त्री–पुरूषों द्वारा विभिन्न स्थानों पर प्रवसन के दौरान की गई भिक्षावृत्ति से यह स्पष्ट होता है, कि कुछ स्थानों पर संसाधनों की पर्याप्तता भी भिखारियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। भिक्षावृत्ति भूमिहीन गरीब ग्रामीणों के लिये भोजन तथा धन प्राप्त करने के लिये एक आवश्यक साधन जैसा है। अतः भिक्षावृत्ति न जो जानबुझकर काम से भागना है, और ना ही कोई संस्थापक प्रथा है ।

<u>अशोक कुमार (2007)</u> दिल्ली विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण अध्ययन से स्पष्ट हुआ है, कि यह हमेशा जरूरतों से ही उदभूत यह आवश्यक नही बहुत बार यह लालच तथा अधिक धन प्राप्त करने की आकांक्षा से प्रेरित होती है। दिल्ली की सड़को पर रहने वाले 5000 भिक्षुकों पर किये गये अध्ययन से यह तथ्य उजागर हुआ कि, इनमें से 799 पुरूष तथा 1541 महिलाऐं पूरी तरह स्वस्थ थे। उनमें से 4 परास्नातक थे, जो अतिरिक्त कमाई हेतु सप्ताह में एक बार भीख मांगते थे। जबकि 6 स्नातक और 196 बारहवी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त किये हुये थे। इनमें से अधिकांश नशाखोरी की लत को पूर्ण करने के लिये छोटे–मोटे अपराध भी कर देते है। अतः स्पष्ट होता है कि स्वस्थ शरीर वाले लोग भी इस लाभप्रद व्यवसाय में शामिल है। दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार वे उन्हे गिरफतार करने से अधिक भगाना पंसद करते है। क्योंकि न्यायालय भी भिखारियों की अपेक्षा इनके गिरोह चलाने वालों को सजा देता है।

<u>अबाटे और स्टेफनो रगिरी (2008)</u> इन्होनें 94 व्यक्तियों पर पालेरमों, सिसली (इटली) में अध्ययन किया। इसमें **व्याख्यात्मक और सहभागी अवलोकन** पद्धति को अपनाया गया। अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना था कि स्वजागरूकता या आत्मनुभूति का भिक्षावृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस हेतु शोधकर्ता ने प्रयोगात्मक आधुनिक पद्धति का प्रयोग किया जिसमें उसने भिक्षावृत्ति के दौरान दर्पन का प्रयोग किया गया। उस दर्पण पर लिखे शब्दों को पढ़कर तथा उसमें अपना

प्रतिबिम्ब देखकर राहगीरों की आत्मजागरूकता में वृद्धि हुयी परिणामस्वरूप दान की मात्रा में भी वृद्धि हुयी। परन्तु यह सभी परिस्थितियों में समान नहीं होता कुछ बार इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है, इस अध्ययन का निष्कर्ष यह है, कि स्वजागरूकता की अवस्था में व्यक्ति दान देने के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है, किन्तु जब चिन्ता और व्यग्रता, आत्मजागरूकता पर हावी हो जाती है, तो परिणाम विपरित हो जाते है, और व्यक्ति स्वयं की जरूरतों पर ज्यादा केन्द्रित हो जाता है, और दूसरो की जरूरतों के प्रति उपेक्षित।

साइ.एम ड्रोमि (2012) इन्होने अपने अध्ययन में साक्षात्कार पद्धति तथा गुणात्मक विश्लेषण को अपनाया है। इन्होने स्पष्ट किया किसी नगरीय जीवन में भिखारियों की उपस्थिति उस प्रक्रिया को न्याय संगत रूप में स्थापित करती है, जो किसी जरूरतमंद व्यक्ति (याचक) द्वारा की गई याचना के प्रति सामाजिक प्रतिक्रिया है। इसके लिये विभिन्न संस्कृति एवं धर्मो में पाये जाने वाले नैतिक विचार व्यक्ति को दान देने हेतु प्रेरित करते है। सड़कछाप भिक्षुक वे लोग है जो विभिन्न कारणों से प्रेरित होकर राहगीरों से धन या सहायता मांगते है। इसके लिये राहगीरों के साथ अन्तक्रिया करते है, जैसे – किसी टिप्पणी किसी प्रश्न अथवा याचना द्वारा उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते है, यह लेख अपरिचित राहगीरों के साथ भिखारी समूह की अन्तर्क्रिया तथा उसके प्रभाव व परिणामों पर विस्तृत चर्चा करता है।

कैरोलिन एस चेंग विकास कुमार 2012 यह अध्ययन बिहार में भिक्षुको के सन्दर्भ मे किया गया जिसका मुख्य उददेश्य संगठित समूहों द्वारा भिखारियों के शोषण को उजागर करना था। इस अध्ययन हेतु गुणात्मक पद्वति का प्रयोग किया गया जिसके माध्यम से शोषित और पीडित भिक्षुको के अनुभव को समझा जा सके। निदर्शन हेतु सोउददेश्य निदर्शन तकनीक को अपनाया गया जिसमें 22 भिक्षुक सम्मिलित किये गये। इन्हाने मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति रोकथाम स्कीम के सर्वेक्षण कार्य के दौरान पटना में भिखारियो के होने वाले शोषण को उजागर किया। तथ्य संकलन हेतु साक्षात्कार अनूसुची साक्षात्कार क्षे़त्र अध्ययन, अवलोकन, पर्यवेक्षण सामूहिक विचार विमर्श का सहारा लिया गया। क्षेत्र अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि रेलवे स्टेशनों तथा

सार्वजनिक स्थानो पर भिक्षावृत्ति करने के लिये भिखारियो को संगठित समूहों को धन देना पडता है। बच्चो तथा महिलाओ को मादक द्रव्यो के सेवन की लत इन्हे मादक द्रव्यों के व्यापार की ओर ढकेल देती है, छोटे बच्चो तथा महिलाओं का लैगिक शोषण भी किया जाता है तथा उनसे जबरन भिक्षावृत्ति करवायी जाती है।

ग्रॉस, मूरे, व लोइब (2013) यह अध्ययन इथियोपिया अध्ययन क्षेत्र के 28 अक्षम भिखारियो के गहन विश्लेषण साक्षात्कार प्रक्रिया के तहत किया गया। अध्ययन में 4 केन्द्रित समूह थे, तथा सर्वेक्षण पद्धति के माध्यम से 100 सड़को पर **अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन** के सहयोग से किया गया। इस अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि भिक्षुकों का यह समूह विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाता है जिसका कारण अशिक्षा या शारीरिक विकलांगता आदि होती है। गरीबी से ग्रस्त इन लोगों को देश के नीति निर्माण में कोई सहयोग नहीं दिया जाता और न ही उनके उत्थान के लिये कोई प्रयास किया जाता है। यह स्थिति उन देशों में भी बनी हुई है जो **'सयुंक्त राष्ट्र अभिसमय' राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेविलिटीज (CRPD)** का अनुसमर्थन करते है। विकलांगता से ग्रस्त ये लोग, अनभिज्ञता सूक्ष्म व्यवसाय ऋणों के अभाव तथा सामाजिक संरक्षण योजनाओं के अभाव में भिक्षावृत्ति को अपना लेते है।

क्रिस्टोफर रॉबिन स्टोन (2013) यह अध्ययन गुणात्मक अध्ययन पद्धति के माध्यम से किया गया है। जिसमें सड़कछाप भिखारियों **(Street Beggars)** के साक्षात्कार के माध्यम से इनकी दैनिक क्रियाओं और भावनाओं को समझने का प्रयत्न किया गया है। सहभागी अवलोकन पद्धति के माध्यम से अध्ययनकर्ता ने (गाउरेंग) जोहान्सबर्ग (साउथ अफ्रीका) क्षेत्र मे भिखारियों के जीवन के वास्तविक पहलुओं का स्पष्ट अध्ययन किया। सहभागी अवलोकन के दौरान किये गये साक्षात्कार अनौपचारिक वार्तालाप के माध्यम से किये गये। जिसमें स्पष्ट हुआ कि सड़कछाप भिखारी समय–समय पर स्थान बदलते रहते है। इस अध्ययन का निष्कर्ष यह था कि बेरोजगारी, समाजिक सहायता का अभाव, अशिक्षा, बेघर होना भिक्षावृति के प्रमुख कारक है, साथ ही इस अध्ययन से यह

भी स्पष्ट हुआ कि भिक्षावृति सदैव ही नशाखोरी की आवश्यकता को पूरा करने के लिये नहीं की जाती है।

<u>**खान, मेनका, व शमशाद (2013)**</u> यह अध्ययन प्राथमिक तथ्य संकलन पर आधारित है, इसमें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्र के भिखारियों का अध्ययन किया गया तथा 70 गाँवों के 892 गृहस्थियों के अध्ययन हेतु स्तरीकृत यादृच्छिक सैम्पलिंग तकनीक को अपनाया गया। इस अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि भिक्षावृत्ति का मुख्य कारण गरीबी तथा बेरोजगारी है। आवास हीनता, बेटियों का विवाह, राशनकार्ड के आभाव,स्वच्छ जल तथा विद्युत का आभाव,बीमारी इनकी अन्य समस्याऐं है। अध्ययन में पाया गया कि 79.6 प्रतिशत लोग गरीबी से ग्रस्त है। ग्रामीण क्षेत्र के 86 प्रतिशत भिखारी एवं शहरी क्षेत्र के 77.8 प्रतिशत भिखारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है।

<u>**सेवा सईद (2013)**</u> मुम्बई शहर पर आधारित यह अध्ययन गुणात्मक तथा गणनात्मक पद्धति के माध्यम से किया गया है। इसमें **(Audio Vidual)** श्रव्य दृष्य डाम्यूमेटरी द्वारा गुणात्मक साक्षात्कार किये गये। इसमें स्पष्ट किया गया कि भिक्षावृत्ति केवल दयनीय स्थिति से ग्रस्त लोगो की आय का साधन मात्र नही है, अपितु –वृहद आपराधिक तंत्र द्वारा लाचार एवं बेसहारा बच्चों द्वारा कराया जाने वाला एक रोजगार उन्मुख कार्य है। भिक्षावृति व्यवसायिक अपराधियों का तन्त्र है, जो डर का सहारा लेकर अपने कार्य सम्पादित कराते है। एक अन्य तथ्य यह भी उजागर हुआ है कि भिक्षावृत्ति का कार्य काफी धर्म निरपेक्ष रूप से सम्पादित किया जाता है। वास्तविक रूप में यह एक सामाजिक आर्थिक समस्या है, जिसे एक धर्म निरपेक्ष विधि **(Bombay prevention of Begging Act 1959)** द्वारा नियंन्त्रित करने का प्रयत्न किया गया है।

<u>**कमरूज्जमन व अब्दुल हकीम (2015)**</u> यह अध्ययन बांग्लादेश की राजधानी ढ़ाका में बाल भिक्षावृत्ति के सन्दर्भ में किया गया। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा की जाने वाली भिक्षावृत्ति को इन्होनें बाल भिक्षावृत्ति माना है। यह अध्ययन कुल 108 बच्चों पर किया जिसमे 70.73 प्रतिशत बालक 29.29 प्रतिशत बालिकायें सम्मिलित है। निदर्शन के लिये **(Non Probabilty Convenience Sampling)** तकनीक का प्रयोग किया गया है। तथ्य संकलन हेतु प्रश्नावली पद्धति साक्षात्कार पद्धति

का सहारा लिया गया। अध्ययन मे सम्मिलित अधिकांश 43.90 प्रतिशत बच्चे सात से दस वर्ष के है। ये बच्चे ऐसे माता पिता की सन्तान है, जो या तो स्वयं भिखारी, रिक्शा चालक या दैनिक मजदूर अथवा गरीब किसान है। इन बच्चो का निवास स्थान गन्दी झुग्गी झोपडियां है, जहाँ ये शिक्षा से वंचित रहते है, और आसानी से गरीबी का दुश्चक्र इन्हे भिक्षावृत्ति तथा अन्य दुर्व्यसनो की ओर ढकेल देता है। इनमें से बहुत से बच्चे आर्थिक तंगी के कारण अपने परिवारों को छोड चुके हैं, और ये सड़को पर अपना जीवन यापन करते हैं।

रोसेलिन अल्युफंके बुकाये (2015) इस अध्ययन में किशोर बच्चों द्वारा फुटपाथ पर की जाने वाली भिक्षावृत्ति का विश्लेषण सुलेजा मेट्रोपोलिस क्षेत्र नाइजीरिया में किया गया। अध्ययन हेतु व्याख्यात्मक शोध पद्धति को अपनाया गया। शोध उपकल्पना का निर्माण अध्ययन मे निर्देश हेतु किया गया था। 100 उत्तरदाताओं (Respondents) पर आधारित अध्ययन में तथ्य संकलन हेतु प्रश्नावली तथा सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रयोग किया गया है। जिससे स्पष्ट हुआ कि फुटपाथी भिखारियों में 32 प्रतिशत तरूण किशोर है। इन्होंने अपने अध्ययन में भिक्षावृत्ति को खत्म करने के लिये शिक्षा तथा रोजगार में सरकारी सहायता द्वारा भिक्षावृत्ति को समाप्त करने की बात स्वीकार की है।

फेडरिक, जोसेफ, तथा श्रीवास्तव (2016) इन्होने अपने शोध में स्पष्ट किया कि भारत में भिक्षावृत्ति लोगों से अल्पकालिक दया प्राप्त करने का साधन मात्र है। भिक्षावृति एक ऐसा व्यवसाय हैं, जिसमें लिप्त व्यक्ति एक अनुपयोगी मानव संसाधन मात्र बन जाते है। इलाहाबाद अध्ययन क्षेत्र के शोध से स्पष्ट हुआ भारतीय समाज में अनुपयोगी मानव संसाधन एक गम्भीर सामाजिक आर्थिक समस्या है। इस लेख से भिक्षावृत्ति के पीछे छिपे कारक जैसे अर्थव्यवस्था, जनसंख्या वृद्वि, गरीबी, खाद्यान आपूर्ति तथा भोजन के भाग आदि को भी स्पष्ट किया गया तथा सरकारी नीतियों के प्रति जागरूकता के अभाव ने इस समस्या को और जटिल बना दिया है।

सरकार, रॉय, चौधरी, व हसन (2016) यह अध्ययन बांग्लादेश के सिलहट का है जिसमें कुल 90 बाल भिखारियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझने का प्रयत्न किया गया। तथ्य संकलन

हेतु प्रश्नावली, साक्षात्कार सूची, एंव आमने सामने के प्रत्यक्ष साक्षात्कार पद्धति को अपनाया गया। सरल यादृश्चिक निदर्शन के माध्यम से पता चला 84.4 प्रतिशत बाल भिक्षुक सिलहट शहर में लड़के है, और 15.6 प्रतिशत लड़कियाँ है। इसमे 64.4 प्रतिशत बच्चे दस से चौदह वर्ष की आयु के हैं। 54.4 प्रतिशत उत्तरदाता (Respondent) 6–10 घण्टे तक भिक्षावृत्ति के कार्य में लिप्त रहते है। इन्होंने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया 62.2 प्रतिशत लगभग 2/3 मलीन बस्तियों में कम आय पर गुजारा करते है।

अब्दुसलाम इशिआक ऑनगन (2016) इन्होने अपने अध्ययन लॉरिन अमीरात ए क्वारा स्टेट (नाइजीरिया) में 150 भिक्षुको के सन्दर्भ में किया गया था। इस शोध में स्तरित निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया गया है। तथ्य संकलन हेतु प्रश्नावली तथा प्रत्यक्ष साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग किया गया था। अध्ययन का मुख्य उद्धेश्य सड़कों पर पाये जाने वाले भिखारियों तथा गरीबी के सहसम्बन्धों का विश्लेषण करना था। अध्ययन में शामिल भिक्षुको में 51.8 प्रतिशत पुरूष जबकि 48.2 प्रतिशत महिलाऐं थी। सड़क छाप भिक्षावृत्ति के पीछे मुख्य कारण बेरोजगारी, अशिक्षा, अत्यन्त सूक्ष्म आय, और कमजोर लोगों के सशक्तिकरण का अभाव है। पूर्णकालिक भिक्षुक अल्पकालिक भिक्षुकों की अपेक्षा अधिक निर्धन हैं। अतः स्पष्ट है कि अधिक निर्धनता अधिक भिक्षावृत्ति की समस्या को जन्म देती है। इस समस्या की समाप्ति सरकार द्वारा भिक्षावृत्ति निषेध अभियान तथा गरीबों के लिये सशक्तिकरण अभियान चलाकर की जा सकती है। वास्तविक रूप में लोक निजि सहभागिता द्वारा ही इस समस्या का समाधान हो सकता है।

बी.के. दास (2017) दास ने अपने अध्ययन **''एंटी बैगरी लॉस इन इण्डिया : ए क्रिटिकल एनालिसिस''** में भारतीय सन्दर्भ में भिक्षावृत्ति का विधिक अध्ययन किया। इन्होनें स्पष्ट किया कि भिक्षुकों को दान देने की भारत में एक प्रथा बन गयी है। इसी कारण यह एक संस्थापित व्यवसाय के रूप में विभिन्न समूहों द्वारा संचालित की जा रही है। कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इन समूहों के नेता भी होते हैं। यद्यपि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को सम्मानपूर्ण जीवन यापन के साधनों को अपनाने, सामाजिक–आर्थिक हितों के संरक्षण की गारण्टी देता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय

ने भी अनुच्छेद 21 के तहत शोषण मुक्त और सम्मानपूर्ण जीवन को एक मौलिक अधिकार माना है, परन्तु भिक्षुकों की वास्तविक स्थिति इन अधिकारों को तिरोहित करती है। विभिन्न राज्यों की भिक्षावृत्ति निषेध विधि उन लोगों को दण्डित करती है जिनके जीवन का सहारा ही मात्र भिक्षावृत्ति है, इसी कारण बहुत से बेकसूर लोग इन विधियों के अन्तर्गत दण्डित हो जाते है। निष्कर्षतः दास ने स्पष्ट किया कि केवल कानूनी प्रावधान इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इस समस्या के उपचार हेतु सरकारी नीतियों का वास्तविक क्रियान्वयन तथा रोजगार परक संसाधनों के सृजन से ही हो सकता है।

मनदीप सिंह (2017) इन्होने अपनी पुस्तक बैगर्स कोड में यह तथ्य उजागर किया कि अधिकांशतः भिखारी दैनिक मजदूरों के अपेक्षा अधिक युवा व स्वस्थ होते है। शोध के दौरान यह भी पाया कि बहुत से मामलों में आंशिक विकलांगता को गम्भीर रूप में प्रस्तुत करके लोगो का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। यह प्रदर्शन पूर्णरूपेण मिथ्या उददेश्य अपनी विकलांगता को एक व्यवसाय का साधन बनाकर धन कमाना है। तथ्य संकलन के लिये अवलोकन के दौरान पाया गया बहुत बार भीख न देने पर लोगों को बेइज्जत भी किया जाता है। इस अध्ययन में इस मिथक को भी तोड़ा गया कि भिखारी गरीब होते हैं। वास्तविकता तो यह है कि निर्धन व्यक्ति भूख से मर जाते है, परन्तु भिक्षावृत्ति को नही अपनाते, जबकि भिखारी गरीबी रेखा से ऊपर आने के बाद भी भिक्षावृत्ति को नही छोड़ते।

फिलिप सेमुएल कॉन्गोले (2017) यह शोध पत्र पश्चिम अफ्रीकी देश सिएरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन के भिखरियों के अध्ययन पर आधारित है। इसमे कुल 100 लोगों के निदर्शन लिये गये जिनमें से 30 अंधे, और 50 विकलांग तथा 5 मूकबधिर थे। अध्ययनकर्ता ने निदर्शन प्राप्त करने हेतु (Purposive) सोउददेश्य निदर्शन पद्धति को अपना तथा भिक्षुकों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की प्राप्ति के लिये साक्षात्कार तथा प्रश्नावली पद्वति को अपनाया अध्ययन को सारगर्भित बनाने के लिये प्राथमिक तथा द्वैतियक दोनो ही माध्यम से तथ्य संकलित किये गये। तथ्यो का विश्लेषण भी गुणात्मक एंव मात्रात्मक दोनो ही तरह से किया है। शोध मे शामिल 40 प्रतिशत भिक्षुक निरक्षर थे

जबकि 30 प्रतिशत केवल प्राथमिक शिक्षा ही प्राप्त कर पाये थे। अध्ययन के निष्कर्ष में फिलिप ने पाया कि दरिद्रता व गरीबी लोगों को भिक्षावृत्ति की ओर ढकेल देती है, अन्य कारणो मे बेरोजगारी,शारीरिक अक्षमता, अभिभावको की मृत्यू, आवास हीनता, और पारिवारिक विघटन आदि भी सम्मिलित है।

सारा‍ह मुसुबिका (2017) यह शोध युगांडा मे करामोजोंग (Karamojong) महिलाओं द्वारा सडको पर की जाने वाली भिक्षावृत्ति के सन्दर्भ मे किया गया। करामोजोंग युगांडा का स्थानीय समूह है। अध्ययन का मुख्य क्षेत्र युगांडा की राजधानी कम्पाला है । अध्ययन के लिये दैव निदर्शन पद्वति के साथ साथ सुविधाजनक गहनतापूर्ण निदर्शन पद्वति का भी प्रयोग किया गया जिससे की अध्ययन हेतु सूक्ष्म और गहन तथ्य एकत्रित किये जा सकें। गुणात्मक अध्ययन के माध्यम से 22 लोगो को चुना गया जिनमें 12 करामोजोंग महिला भिक्षुक भी शामिल थी प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यो को संकलित करने हेतु साक्षात्कार पर्यवेक्षण, क्षेत्र अध्ययन, लेख, जर्नल आर्टिकल, रिपोर्ट पुस्तके आदि प्रयोग की गयी । इस अध्ययन में देशज अध्ययन पद्वति का प्रयोग किया गया जिससे की स्थानीय लोगो के जीवन को भली भांति समझा जा सके अध्ययन में स्पष्ट हुआ कि आर्थिक आवश्यकताओं के कारण करामोजोंग महिलायें भिक्षावृत्ति करती हैं। इस समस्या का मुख्य कारण बढ़ती हुयी जनसंख्या, कृषि भूमि का अभाव जिसके कारण ये लोग नगरीय क्षेत्रो की ओर प्रवास करते है, और अन्ततः जीवन व्यापन हेतु भिक्षावृत्ति को अपना लेते है।

अब्दुल्ला जेकब सेनी (2017) यह अध्ययन तंजानिया क्षेत्र के विशेषतः अक्षम व विकलांग बाल भिखारियों पर केन्द्रित है। इसमें पाया गया कि किशोर या बाल भिखारियों का वयस्क भिखारियों द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है। ये वयस्क या तो उनके संबंधी या पड़ोसी अथवा मित्र होते है, वे दृष्टि बाधित अक्षम किशोर भिखारियों को एक व्यवसाय के रूप में भिक्षावृत्ति अपनाने में उनकी मदद करते है। सहयोग व प्रशिक्षण के लिये व्यस्क भिखारी शुल्क आदि भी लेते है, जबकि सम्बन्धों की घनिष्ठता में कभी–कभी यह कार्य निःशुल्क भी किया जाता है। किशोर भिखारी लगभग 5–13

वर्ष की आयु के होते हैं जिन्हे नवयुवक या वयस्क भिखारियो द्वारा नहाने, धोने, शौच आदि सभी मूलभूत नैसर्गिक क्रियाओं में सहायता प्रदान की जाती है।

<u>अध्ययन के उद्देश्य :</u>– प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भिक्षावृत्ति के कारणों का अध्ययन करना है। अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

(1) मथुरा नगर के धार्मिक स्थलों पर केन्द्रित भिक्षुकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।

(2) भिक्षावृत्ति में संलिप्त लोगों की शारीरिक एंव मानसिक स्थिति का अध्ययन करना।

(3) भिक्षावृत्ति का एक व्यवसाय के रूप में अध्ययन करना।

(4) भिक्षावृत्ति की समस्या के उपचार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

<u>अध्ययन की उपकल्पना</u> :– उपलब्ध साहित्य की समीक्षा और अध्ययन तथा अनुभव के आधार पर शोध विषय हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाऐं हैं–

(1) मथुरा नगर के धार्मिक स्थलों पर केद्रित भिक्षुकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति निम्न है।

(2) भिक्षावृत्ति में सलिप्त लोग शारीरिक रूप से अक्षम तथा मानसिक रूप से मंदबुद्धि होते है।

(3) भिक्षावृत्ति में संलिप्त लोग नशाखोर तथा अकर्मण्य प्रवृति के होते हैं।

(4) भिक्षुकों का व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं पुर्नवास कर भिक्षावृत्ति की समस्या का उपचार किया जा सकता है।

<u>अनुसंधान पद्धतिशास्त्र एवं अनुसंधान प्रारचना :–</u> प्रस्तुत अध्ययन हेतु शोधकर्ता ने **व्याख्यात्मक एंव निदानात्मक** शोध प्ररचना प्रयोग करने का निश्चय किया है। जिससे भिक्षावृत्ति की समस्या के विभिन्न कारणों की व्याख्या तथा उनकी दशा व दिशा का निरूपण किया जा सके, जिससे समस्या के उपचार/निदान की खोज हो सके।

अध्ययन क्षेत्र समग्रः– मथुरा एक ऐतिहासिक एंव धार्मिक महत्व वाला पर्यटन स्थल है। प्राचीन समय से मथुरा भारतीय संस्कृति एंव सभ्यता का केन्द्र रहा है। भारतीय धर्म, दर्शन व कला के क्षेत्र में मथुरा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्म स्थली है, इसी कारण यहाँ मंदिरों की संख्या बहुत अधिक है। यहाँ लगभग 5 हजार से अधिक मन्दिर हैं। इन मंदिरों व देवालयों पर बहुत दान–पुण्य भण्डारा (धार्मिक भोज) होते रहते हैं। जिस कारण कई अन्य प्रांतों के भिक्षुक भी यहाँ आ जाते हैं, तथा अपना जीवन यापन करते हैं। मथुरा में लगभग बीस हजार से अधिक भिक्षुक जंनसंख्या है, जो देश की कुल भिक्षुक जनसंख्या का लगभग 5 प्रतिशत है। इन भिक्षुकों में से अधिकांश मथुरा, के मंदिरों पर पाये जाते है। इस अध्ययन में महिला तथा बाल भिक्षुकों को भी सम्मिलित किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में मथुरा नगर के प्रमुख मन्दिरों को लिया जायेगा।

2011 की जनगणना के अनुसार मथुरा में आवासहीन लोग – 2011 की जनगणना के अनुसार मथुरा में कुल 1428 परिवार फुटपाथ पर बिना किसी छत के रहते है। ऐसे लोगो की लगभग 0.24 प्रतिशत लोग हैं, जो आवासहीन हैं, और फुटपाथ पर रहने को विवश हैं।

2011 के अनुसार मथुरा जिले की जनसंख्या निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित है–

विवरण	2011	2001
कुल जनसंख्या	2,547,184	2,074,516
पुरूष	1,367,125	1,127,512
महिला	1,180,059	947,004
जनंसख्या वृद्धि दर	22.78	25.68

उपरोक्त विवरण से मथुरा के जनसांख्यिकीय तथ्यों को समझ लेने के पश्चात्, शोधकर्ता ने सूक्ष्मता पूर्वक उन क्षेत्रों का चयन वर्तमान शोध हेतु किया है। जहां भिक्षुकों की जनसंख्या का केन्द्रीकरण पाया जाता है।

समग्रः– प्रस्तुत अध्ययन मथुरा के प्रमुख मन्दिरों पर संकेन्द्रित भिक्षुकों पर केन्द्रित है।

इकाई	प्रमुख मंदिर / परिक्रमा मार्ग (अध्ययन क्षेत्र)	भिक्षुकों की संख्या (उत्तरदाता)
1.	भूतेश्वर महादेव मंदिर	150
2.	काली मंदिर (कैन्ट)	45
3.	सांई मंदिर	50
4.	गर्तेश्वर महादेव मंदिर	65
कुल		310

अध्ययन की ईकाईः– इस शोध में अध्ययन की ईकाई भिक्षुक (धार्मिक भिक्षुक) है। जिन्हें धर्म के आधार पर कई अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। जैसे–भिक्षु, बाबा जी, योगी, संन्यासी, साधु, त्यागी, यति, आदि। ये समाज के वह लोग हैं, जो संसाधनों से वचिंत हैं तथा भिक्षावृत्ति पर ही आश्रित हैं।

निदर्शन अध्ययन पद्धतिः– अध्ययन समग्र को ध्यान में रखकर उद्धेश्यपूर्ण निदर्शन विधि **(Purposive Sampling Method)** के माध्यम से ईकाईयों का चयन अध्ययन हेतु किया जायेगा। अध्ययन हेतु 310 ईकाईयों का चयन किया जायेगा।

तथ्य संकलन के स्त्रोत :– अनुसंधानकर्ता के द्वारा भिक्षुकों के जीवन से जुड़े विभिन्न तथ्यों को संकलित करने हेतु प्राथमिक एंव द्वितीयक दोनो प्रकार के तथ्यों का संकलन किया जायेगा।

प्राथमिक तथ्य :– प्राथमिक तथ्यों को **साक्षात्कार–अनुसूची** के द्वारा क्षेत्र अध्ययन के दौरान उत्तरदाताओं से संकलित किया जायेगा।

द्वितीयक तथ्य :– शोधार्थी ने अपने अध्ययन में यथोचित आवश्यकतानुसार द्वितीयक तथ्यों का भी प्रयोग करने का निश्चय किया है। द्वितीयक तथ्यों का संकलन समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकों, साप्ताहिक पत्रिकाओं, शोध पत्रिकाओं, जनसंख्या रिपोर्टों तथा इंटरनेट आदि से किया जायेगा।

तथ्य संकलन के उपकरण :– प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार–अनुसूची के माध्यम से उत्तरदाताओं की वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन किया जायेगा।

अध्ययन उपकरणों की जाँच :– तथ्य संकलन के उपकरण की जाँच हेतु शोधार्थी द्वारा 5–6 उत्तरदाताओं पर साक्षात्कार–अनुसूची का प्रयोग किया जायेगा। यदि यह उपकरण तथ्य संकलन हेतु उपयुक्त पाये जाते है, तो इसका प्रयोग अध्ययन हेतु किया जायेगा अन्यथा इन तथ्य संकलन के उपकरण में आवश्यक सुधार किया जायेगा।

क्षेत्र अध्ययन के द्वारा प्राथमिक तथ्यों का संकलन :– तथ्य संकलन के उपकरणों की जाँच के पश्चात क्षेत्रीय कार्य के द्वारा उत्तरदाताओं से पूर्ण सावधानी के साथ तथ्यों को संकलित किया जायेगा। क्षेत्र अध्ययन के दौरान शोधार्थी अध्ययन की प्रत्येक इकाई से स्वंय संपर्क स्थापित कर तथ्यों को एकत्रित करेगा।

एकत्रित तथ्यों का संपादन :–तथ्यों के एकत्रण के पश्चात सावधानी पूर्वक जाँच की जायेगी अनावश्यक तथा आधी अधूरी सूचनाओं/तथ्यों को हटा दिया जायेगा। तत्पश्चात तथ्य एवं सूचनाओं को मास्टर चार्ट ;(मुख्य सूची)पर हस्तान्तरण किया जायेगा।

तथ्यों का वर्गीकरण,सारणीयन तथा उनकी व्याख्या एवं प्रस्तुतीकरण :– मास्टर चार्ट के निर्माण के पश्चात तथ्यों का सावधानी पूर्वक वर्गीकरण एवं सारणीयन किया जायेगा। उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्यों की तत्काल व्याख्या करके उनका सारांश निकालकर प्रस्तुत किया जायेगा।

सांख्यिकीय समीक्षा :– अनुसंधानकर्ता गणनात्मक तथ्यों की सांख्यिकीय समीक्षा भी करेगा।

Refreneces :-

- Seni, A.J. (2017). *Causes and effect of Begging Style Involving children as Guides in Dodoma municipality*, Tanzania: (International Jouranl of Education & Literacy Studies 5 doi:http://dx.doi.org/10.7575/aiac.ijels.
- Onagun, A.I. (2016*). relationship between street begging and poverty in Llorin emirate*. Kwara state (Nigeria). international Journal of Health Economics and policy 1(1) doi:10.11648/j.hep.20160101.12
- Fredrick,A. Joseph,T. Srivastav, H. (2016). *Begging in India: Barricading the Sustainable Financial Development*. international Journal of Managenment & Social Science 3(3).doi:http://dx.doi.org/10.21013/jmss.
- Anderson, N. (1961) *The Hobo: the sociology of the homeless man*. Chicago, University of Chicago Press.
- Kumar, A. (2007) *Some facts about begging India* (The Hindu Report 2 June 2007)
- Stones, C.R. (2013) *A psycho Social Exploration of street begging: Aqualitative Study* .South African Journal of psychology 43(2) https://doi.org/10.1177/0081246313482632
- Abbate, C.S , Ruggieri, S. (2008) *A Beggars self Awarness and willingness to help,* Italy. Current Psychology letters .(online) http://journals.openedition.org/cpl/4233
- Massey, D., Rafique, A. Seeley, J., (2010). *Begging in Rural India and Bangladesh*. Economic & Political Weekly, 45(14)
- Khan, Menka, and shamshad (2013) *Problem of Beggars: A case Study.* Aligarh. International journal of Management and social scienceResearch(UMSSR)2(12).http://www.researchgate.net/publication/306111497
- Gillin, J.L. (1929) *Vagrancy and begging*. American Journal of sociology 35 (3),pp.424-432. https://www.jstor.org/stable/2765752
- Jha, M. (1979) *The Beggars of a Pilgrim's City: Anthroplogical, Sociological, Historical & Religious aspects of beggars and Lepers of Puri*, Varanasi, Kishor Vidya Niketan, Bhadaini.

- Kamat, K.L. (2007) *The begging Profession.* Retrived from http://www.kamat.com
- Kumarappa, J.M. (1945). *our Beggar problem, How to tackle it.*Bombay,Padma Publications .
- Singh, M. (2017). *Beggars code* . Chennai, Notion Press Academy.
- Beeman, M (1992) *A Sociological interpretation Aminata sow fall's The Beggars Strike* A Journal of African and American studies Contributions in Black studies, http://scholarworks.umass.edu/cibs/vol9/iss1/12
- MOLSA (1992) *Study on begging in addis ababa*.ethiopia Action oriented Addis Ababa.
- Moorthy, M.V. (1959) *Beggars Problem in greater Bombay A research study;Report*. Bombay,Indian Conference of Social Work.
- Groce, N. Murray, B. Loeb, M. (2013) *From Alms to income:Begging as an overlooked issue of disability and Poverty*. http://www.ilo.org/employment/Informationsresources/WCMS310228/lang--en/insex.htm.
- Sharma, R.K. (1997). *Uraban Sociology*.Delhi, Atlantic publishers & Distributers.
- Bukoye, R.O. (2015) Prevalence and Consequencies of street begging among adult and children in Nigeria, Suleja Metropolis. Procedia Social and Behavioral Science.171 https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01
- Shai, M. Dromi. (2012) *Penny for your thoughts: Beggars and the exercise of Morality in daily life* 27(4), https://doi.org/10.1111/j.2012
- Saeed. Sheba. (2013) *Regulation of Begging in Mumbai: A critique of Religious and secular laws and notions of power* (Research of University of Birmingham).
- Acharya. (1988) Evalution of the Institution of the beggary in ancient India. Bhandarkar Oriental Research Institute 69(¼), http://www.jstor.org/stable/41693775
- Sarker, Roy, Chowdhury and Hasan. (2016). Socio – Economic Status of child begging in sylhet City, Bangladesh. (International Journal of Information Research and Review 03(08) pp.2695-2700

- Madan, G.R. (1982). *Indian social problem; social disorganization and reconstration.*Bombay, Allied Publisher.
- Mukharjee, R.K.(1945).*causes of beggary* in J.M. kumarppa(E.d) our beggar problem Bombay,padama publication.
- Dhruvasan, A.R. (1963) *Is this a part of religion ? social welfare* . New Delhi; The encyclopedia of social work in india 1968 publication division ,india 158
- UNESCO. (2006),*World report on violence against children*.social and human science.
- Chaudhuri, S. (1977) Calcutta. *A study on the beggars of kalighat* University of calcutta http://hdl.handle.net/10603/163406
- Mohapatra, A.(1992) bhubneshwar *problem in beggars in bhubaneshwar city their rehabilitation a social responsibility selected studies* Utkal University http://hdl.handle.net/10603/188679
- Das, B.K. (2017) *Anti beggary laws in india;A critical analysis*.International journal of law 3(3) 161-163. https:www.lawjournals.org
- Kongoley, P.S. (2017) *The impac of street begging on the freetown municipality* International journal of scientific and research publication 7(7),2250-3153 http://www.ijsrp.org
- Cheng, C.S. Kumar,V. (2012) *Pattern of exploitation and organised crime ; study on homeless beggar in patna* ,bihar International journal of scientific and research publication . 2(11), 2250-3153. http://www.ijsrp.org
- Philip, L. (2005) *Understanding and reponding to begging Melbourne* university law.
- Musubika, S. (2017) *Behind the scenes of street begging karamojong women of north eastern uganda* The arctic Research of university of norway
- Kamruzzaman, M. Hakim, A. (2015) *socio economics status of child beggars in dhaka city* (Journal of social science and humanities) 5, http://www.aiscience.org/journal/jssh
- Mohan, B. (1972). *Indias Social* Problem.Allahabd, International publication.
- Chandra, S. (1967). *Sociology of Deviation in India.*Bombay, Allied publication.

अध्याय योजना

प्रथम अध्याय :–	विषय परिचय
	समस्या का वर्णन
	अध्ययन का महत्व
	अवधारणात्मक स्पष्टीकरण
	उपलब्ध साहित्य की समीक्षा
	अध्ययन क उद्देश्य
	अध्ययन की परिकल्पना
द्वितीय अध्याय :–	अनुसंधानपद्वति एवं शोधप्रारूप
	अनुसंधान प्रारूप
	अध्ययन का क्षेत्र
	अध्ययन की इकाई
	संगणना पद्वति
	तथ्य प्राप्ति के स्त्रोत
	तथ्य प्राप्ति के उपकरण
	प्रारम्भिक अध्ययन
	तथ्य एकत्रीकरण
	तथ्यों का विश्लेषण एवं संपादन
तृतीय अध्याय :–	भिक्षावृत्ति की सामाजिक आर्थिक एंव धार्मिक पृष्ठभूमि
	भिक्षावृत्ति के सामाजिक आयामों का विश्लेषण
	आर्थिक संसाधनो एंव भिक्षावृति के सहसम्बन्धों का विश्लेषण
	भिक्षावृत्ति के धार्मिक आयामों की समीक्षा

चतुर्थ अध्याय :– भिक्षावृत्ति एंव धर्म के सहसम्बन्धों की व्याख्या

दान की धार्मिक मान्यताऐं

धार्मिक स्थानों पर भिखारियों का केन्द्रीकरण

धर्म आधारित विशिष्ट भिक्षावृति

आडम्बर युक्त भिक्षावृति का विशिष्ट प्रभाव

पंचम अध्याय :– भिक्षावृत्ति के कारक

सामाजिक

आर्थिक

धार्मिक

शारीरिक

षष्ठ अध्याय :– भिक्षावृत्ति की समस्या का उपचार

सामाजिक प्रयासों द्वारा

आर्थिक – संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण

धार्मिक रूढिवादिताओं का खण्डन

स्वास्थ – सुविधाओं का विकास

सप्तम अध्याय :– निष्कर्ष एवं उभरते आयाम

निष्कर्ष एवं उपसंहार

निरन्तर अध्ययन की आवश्यकता

अतिरिक्त अध्ययन हेतु सुझाव